

अग्निशमन अनापत्ती प्रमाण-पत्र
कार्यालय अग्निशमन विभाग भरतपुर.



2021/09/15 16:22


क्रमांक : FireNOC/3417/617

दिनांक : 24/01/2020

प्रेषित :

श्री आवेदक का नाम : Elias Correia

पता : St. peters sen. sec. school police line road bharatpur rajasthan



विषय : police line road bharatpur rajasthan

भरतपुर में निर्मित होने वाले भवन की अस्थाई फायर अनापत्ति कागज ।

प्रसंग : आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 08/01/2020 के मन्दर्भ में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा दिनांक 08/01/2020 को इस विभाग को आवेदन भवन प्रस्ताव कर बहुमंजिला इमारत / परिसर निर्माण से पूर्व अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ती चाही है. आवेदित स्थल का भूखण्ड (निर्देशांक) बचाया गया आवेदक Elias Correia द्वारा police line road bharatpur rajasthan

उक्त भूखंड में बहुमंजिला इमारत / परिसर का निर्माण संलग्न हस्ताक्षरित नक्शों के अनुरूप अग्निशमन दृष्टि से निम्न शर्तों की पालना करने को बाध्य करते हुये अग्निशमन की अस्थायी अभिशंका जारी की जाती है ।

1. भवन का निर्माण भरतपुर विकास प्राधिकरण / नगरनिगम भरतपुर प्रिको / ग्रां हाउसिंग द्वारा स्वीकृत मानचित्रानुसार करना होगा।
2. निर्माण किये जाने वाले भवन में नॅशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर लिफ्ट का स्थापना करना एवं नॅशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप आग से बचाव, आग बुझाने व आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था कराना अनिवार्य होगी।
3. निर्माण किये जाने वाले बहुमंजिला भवन में नॅशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार फायर स्प्रिंकलिंग सिस्टम व नोजल फ्लो व नोजल स्प्रीडिंग होज, फायर एक्सटिंग्विशर, एम् सी पी हूटर, पी ए सिस्टम, फायर डिटेक्शन प्रोप प्रोपेस, फायर स्मिटर, एयरजैसी लाईट, अंडर ग्राउंड व ओवर हैड फायर वाटर का टैंक मब पम्प / पम्प यूनिट वाली कम्प्लेक्स प्रोविड करेगा।
4. आवेदक को 3 मंजिल (बेसमेंट, स्टील फ्लोर, प्रथम फ्लोर से 2 की मंजिल) पर कुल मंजिलें तक 16.0 मीटर इंच की आवासीय भवन की अस्थायी फायर अनापत्ति पत्र के साथ हस्ताक्षरित नक्शों में उदासीनी गैर मान्य होगी।
5. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारो ओर एरियल हार्डवोलिक लेडर प्लेट फार्म की प्रमाणांकित स्थान तक पहुंचने हेतु चारो तरफ घूमने व कार्य करने के लिए नॅशनल बिल्डिंग कोड एवं जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010/11.1 अन्वयेत विनियम के अनुरूप न्यूनतम 20 फूट खाली स्थान (गलियारा) रखना होगा एवं उक्त खाली स्थान पर किसी भी प्रकार का अतिछाजन व वाल्कनी का निर्माण निषेध होगा।
6. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरंत अग्निशमन केंद्र पहुंचे इसके लिए स्वचालित आग चेतावनी व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
7. अस्थायी अग्निशमन अभिशंका के स्वीकृत नक्शे में वर्णित आवेदित स्थल का भूखण्ड (निर्देशांक) का अक्षरण विचारणीय / विवादिता है तो इसके लिए आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस संबंध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. फायर प्रिवेंशन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नॅशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो सामग्री लगे जाये व्यवस्था की जावे उनका परिक्षण व निरीक्षण निम्न हस्ताक्षरकर्ता से करवा कर स्थाई अनापत्ती प्रमाणपत्र लेने को बाद ही भवन को उपयोग में लिया जा सकेगा उक्त की पालना नहीं करने पर भूखंड मालिक / आवेदक के खिलाफ विनियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. भवन में धुआँ निकासी के लिए नॅशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप उचित व्यवस्था करनी होगी या एम् वी सी के अनुरूप रिमूव एरिया छोड़ना होगा।

(Handwritten signature)

